भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 17

सोमवार, 22 जुलाई, 2024/31 आषाढ़, 1946 (शक)

श्रमिकों के लिए योजनाएं

17. श्री संजय दीना पाटिल:
श्रीमती सुप्रिया सुले:
श्री नागेश बापुराव अष्टिकर पाटिल:
श्री भास्कर मुरलीधर भगरे:
प्रोफ. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:
श्री धैर्यशील राजसिंह मोहिते-पाटील:
श्री निलेश ज्ञानदेव लंके:
डॉ. अमोल रामसिंग कोल्हे:
श्री बजरंग मनोहर सोनवणे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान महाराष्ट्र राज्य में श्रमिकों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित योजनाओं और केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उपर्युक्त प्रत्येक योजना के लिए आबंटित, स्वीकृत, जारी और उपयोग की गई निधि का वर्ष, योजना और जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उपरोक्त योजनाओं से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार को उपरोक्त योजनाओं के कार्यान्वयन में कोई कमियां मिलीं और यदि हां, तो सरकार ने उन कमियों को किस प्रकार दूर किया है;

(ड.) श्रमिकों के लिए इन योजनाओं को कार्यान्वित करते समय केन्द्र सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां आई हैं; और

(च) क्या सरकार का देश में श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) से (च): श्रम और रोजगार मंत्रालय की योजनाएं केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं। कार्यान्वित की जा रही प्रमुख योजनाएं हैं: (i) बीड़ी/ सिनेमा/ गैर-कोयला खान कामगारों और उनके परिवार के सदस्यों के

जारी...2/-

कल्याण के लिए श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस) जिसमें तीन घटक शामिल हैं, अर्थात स्वास्थ्य, छात्रवृत्ति और आवास; (ii) आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) का उद्देश्य नए रोजगार के सृजन और कोविड-19 महामारी के दौरान हुए रोजगार के नुकसान की भरपाई के लिए नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना है; (iii) मॉडल कैरियर सेंटर (एमसीसी) की स्थापना के लिए राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस); (iv) कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस), 1995 ईपीएफओ के माध्यम से कार्यान्वित की गई; (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएमएसवाईएम), वृद्धावस्था पेंशन के लिए भारत सरकार द्वारा समान/ बराबर अंशदान वाली एक स्वैच्छिक अंशदायी योजना; (vi) बंधुआ मजदूरों की पहचान और पुनर्वास के लिए बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास; (vii) कर्मचारी राज्य बीमा निगम के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाएं।

महाराष्ट्र राज्य सहित प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत व्यय का ब्यौरा तथा लाभार्थियों की संख्या अनुबंध में दी गई है।

योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, जैसे जागरूकता पैदा करने और लाभार्थियों को संगठित करने, का समाधान राज्य सरकारों और स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा जागरूकता शिविरों का आयोजन करके, नामांकन की सुविधा आदि प्रदान करके किया जाता है।

*

*****

"श्रमिकों के लिए योजनाएं" के संबंध में दिनांक 22.07.2024 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 17 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

1. प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) पेंशन योजना:

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	324.23
2022-23	269.91
2023-24	162.51

दिनांक 16.07.2024 की स्थिति के अनुसार, पीएमएसवाईएम योजना के अंतर्गत मानधन पोर्टल पर 50 लाख से अधिक लाभार्थियों को नामांकित किया गया है, जिनमें महाराष्ट्र राज्य के 6,10,368 लाभार्थी शामिल हैं।

2. श्रम कल्याण योजना (एलडब्ल्यूएस):

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	64.21
2022-23	80.79
2023-24	81.31

वर्ष 2021, 2022-23 और 2023-24 के दौरान कुल लाभार्थियों की संख्या 62,47,409 है, जिनमें से नागपुर क्षेत्र (जिसमें महाराष्ट्र, गोवा, दमन नगर हवेली और दमन और दीव शामिल हैं) में लाभार्थियों की संख्या 3,23,080 है।

3. राष्ट्रीय कैरियर सेवा (एनसीएस):

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
2021-22	24.31
2022-23	43.99
2023-24	46.90

उपरोक्त तीन वित्तीय वर्षों के दौरान एनसीएस के तहत नौकरी चाहने वालों/ लाभार्थियों की संख्या 2,16,44,766 है, जिनमें से 17,79,443 महाराष्ट्र राज्य से है। अब तक महाराष्ट्र राज्य में 28 मॉडल करियर सेंटर (एमसीसी) को मंजूरी दी गई है।

4. आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई):

वर्ष	संवितरित राशि (करोड़ रुपये में)
2021-22	625.68
2022-23	669.53
2023-24	162.70

दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार लाभार्थियों की संख्या 60.49 लाख है, जिनमें से 9.79 लाख लाभार्थी महाराष्ट्र राज्य में हैं।

5. कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी): ईएसआईसी योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य में 15 अस्पताल और 108 औषधालय हैं; तथा 19 नए अस्पतालों और 88 नए औषधालयों को सैद्धांतिक मंजूरी दी जा चुकी है। राज्य में 44.55 लाख बीमित व्यक्ति और 1.73 करोड़ लाभार्थी हैं।

6. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की योजना: यह योजना मांग आधारित है, जिसके अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें धनराशि प्रदान की जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस मंत्रालय को महाराष्ट्र सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

****